

13.6.17

पंचानली राजारज लोच्य भूदलत
 लोच्य लोच्य शैरानाद पर पेशा/ बाद
 अन्तगत धारा 183-188 अन्व-अ. लोच्य लोच्य
 इस प्रकार है कि ग्राम किलिपाकला
 प. ह. किलिपाकला में स्थित आराजी
 1788/58 इकावा 12 बीघा 15 किरवा
 दर्जे 2 बीघा 5 है

उक्त वर्गीत आराजियात की पश्चिम
 दिशा की ओर सटी हुई आराजी नम्बर
 1744/58 इकावा प्रतिवादी सभ के नाम
 शातेपरीदर्जे है जिसके वादी की
 आराजियात की पश्चिम दिशा की ओर
 सटी हुई आराजी नम्बर 1780/58
 प्रतिवादी सभ स. 02 व 3 के नाम से
 शातेदारी अधिकार में बनी ठहर रही
 है।

वादी प्रतिवादीगण ने किच सिमा विवाद
 होने पर वादी ने किच सिमे पर पत्थरगढ़ी
 कराने पर सिमे रिपोर्ट अचुरानार
 पाया गया कि प्रतिवादी सभ ने वादी
 की उक्त वर्गीत आराजी नं. 1788/58
 की पश्चिम दिशा की भूमि 17
 किरवा व प्रतिवादी स 2 वादी की
 भूमि पर 2 किरवा पर जबरन प्रतिवादीगण
 कर रखा है।

अतः वाना स्वाम्यार कर प्रतिवादी
 के विरुद्ध विद्युत पारित कर आगजी
 नम्बर 17 83/58 में परिषदा दिशा में
 प्रतिवादी म० 1 से 17 किरन्वा भूमि एवं
 प्रतिवादी म० 2 के 2 किरन्वा में व्यक्ता
 हटा कर वादी को देला जा आवे।
 एवं उक्त आगजीपत पर प्रतिवादी म०
 को पाबंद किया जावे वादी को उक्त
 आगजीपत व्यक्ता वारत में किसी
 प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे।

वादापत्र व परचुत दरता के जो
 प्या अवलोकन किया गया।

आदेश

अतः लहरी लवा के आदेश दिशा
 जाता है कि ग्राम किलियावला के
 आगजी नम्बर 17 88/58 में परिषदा
 दिशा में प्रतिवादी म० 1 से 17 किरन्वा
 एवं प्रतिवादी म० 2 से 02 किरन्वा भूमि
 को व्यक्ता हटा जा कर वादी को
 दे व्यक्ता सिपुद करे।

अबो कारेकेत अपना-अपना वह
 करे।

आज दिनांक 13.6.17 को बोर्ड
 के मध्य 2 वें शब्द पर करे आम सुलाफ
 था।

पत्रावली पत्राल शुमार होकर
 नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर, हमीरगढ़

